न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

6(ए) वाद संख्या–09 / 2015

बिहार सरकार द्वारा अनु0पदा0,बेनीपुर बनाम पवन पासवान एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
30/01/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर के पत्रांक–02 दिनांक–09.01.15 से बहेड़ा थाना कांड संख्या–441 / 14 से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–06 के तहत जप्त खाद्यान्न को अधिहरण करने की अनुशंसा की गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि कल्याणपुर चुड़ा मिल के निकट पंचायत जरिसो से ट्रेक्टर संख्या–बी0आर0 07जी0 –6120 पर कुल–43 (तैतालीस) बोरा चावल वजन 21.02 क्विं0 तथा 29 (उन्नतीस) बोरा गेहूँ वजन 14.44 क्वीं0 को जप्त कर नन्द किशोर रस्तोगी, ज0वि0प्र0 विकेता बहेड़ा के जिम्मेनामा पर दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर ने बहेड़ा थाना कांड संख्या–441 / 14 में जप्त खाद्यान्न को अधिहरण करने की अनुशंसा की गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि जप्त खाद्यान्न का समुचित भंडारण एवं रखाव के अभाव में खराब होना संभाव्य है। जिस कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर को आदेश दिया जाता है कि बहेड़ा थाना कांड संख्या–441 / 2014 में जप्त खाद्यान्न को स्थानीय बाजार में बिकी कराकर प्राप्त राशि अनुमण्डल नजारत में जमा कराकर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। प्रतिपक्षी के सदस्यों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख पुनः दिनांक–16/4/15 को रखे। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। ज्ञापांक 246 / जि0वि0शा0 दिनांक 07-02-2015 प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि समाहर्त्ता महोदय, दरभंगा द्वारा पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन कर प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाय।	

7/2/15

कार्यालय समाहर्त्ता
जिला विधि प्रशाखा
दरभंगा